

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल अधिकारी ज्वालियर, केन्द्र भोपाल
=====

रिवीजन क्रमांक :- R-1617 -III/2011
प्रस्तुत दिनांक:-

- §1§- गुरुदयाल पिता शंकरलाल यादव उम्र लगभग- 80 वर्ष,
धंधा-काश्तकारी, निवासी शिवपुर जिला होशंगाबाद
- §2§- नाशायण प्रसाद पिता शंकरलाल उम्र लगभग 58 वर्ष
धंधा-काश्तकारी निवासी अब्दोलागंज जिला रायसेन
- §3§- विष्णुप्रसाद पिता शंकरलाल उम्र लगभग-56 वर्ष, धंधा-
काश्तकारी निवासी अब्दुलागंज जिला रायसेन
- §4§- संतराम पिता शंकरलाल उम्र लगभग-54 वर्ष, धंधा-काश्त
कारी निवासी होशंगाबाद जिला होशंगाबाद
- §5§- रामनिवास पिता शंकरलाल यादव उम्र लगभग-45 वर्ष
धंधा काश्तकारी, निवासी अब्दुलागंज जिला रायसेन

-----आवेदकगण

बनाम

- §1§- श्रीमति सकुन्तलाबाई पत्नि हरगोविन्द यादव उम्र
लगभग-50 वर्ष, धंधा-गृहकार्य, निवासी शिवपुर तह0
सिवनी मालवा जिला होशंगाबाद
- §2§- अविनाश पिता हरगोविन्द यादव उम्र लगभग -30 वर्ष
धंधा-काश्तकारी, निवासी शिवपुर तह0 सि0मा0
जिला होशंगाबाद §म0प्र0§
राम
- §3§- श्रीमति मुलियाबाई पत्नि नारायण प्रसाद पुत्री
शंकरलाल यादव उम्र लगभग- 50 वर्ष, निवासी शिवपुर
तह0 सिवनी मालवा जिला होशंगाबाद -----अनावेदकगण

नोट:- श्रीमति सुभद्राबाई पत्नि शंकरलाल का निधन हो चुका है
=====
उसके वारसान आवेदकगण एवं अनावेदक, क0 उ है ।
=====

निगरानी आवेदन यत्र धारा 50 म0प्र0भू0रा0स0 1959.
=====

यह निगरानी आवेदकगणों द्वारा रा0प्र0क0 17अ वर्ष

गुरुदयाल

हे ।
पर

श्रीमती किरण सुब्बा
अध्यक्ष
दि 6/9/11 रायसेन

10/10/11


विष्णु प्रसाद
अध्यक्ष

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

(गुरुदयाल/शकुन्तलाबाई)
जिला-होशंगाबाद

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1617-तीन/2011

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
<p>29.03.2016 भोपाल कैम्प</p>	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण में आवेदक एवं अनावेदक अधिवक्ता सूचना उपरांत दिनांक 15-3-2012 से लगातार अनुपस्थित हैं। प्रकरण आवेदक अधिवक्ता की उपस्थित के लिये दिनांक 29-03-2016 तक नियत होता रहा, किन्तु दिनांक 15-03-2012 से 29-03-2016 तक न्यायहित में आवेदक अधिवक्ता की उपस्थिति का इंतजार किया जाकर व आवेदक को पर्याप्त समय मिलने के पश्चात् भी वे अनुपस्थित रहे हैं। वहीं सुनवाई दिनांक 29-03-2016 को तीन बार पुकार लगवाई गई, इसके पश्चात् भी कोई उपस्थित नहीं हुआ। उपरोक्त स्थिति से ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को इस प्रकरण को चलाने में कोई रुचि नहीं है। प्रकरण अनावश्यक रूप से वर्ष 2011 से लंबित चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में आवेदक को प्रकरण को चलाने में कोई रुचि न होने के कारण प्रकरण को इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।</p>	<p> अध्यक्ष</p>